तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलडि/टी.ए./1150/2005/डुंगरपुर भारतसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित–
श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 26–04–2017 पर सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी भारतसिंह का स्वर्गवास दिनांक 27–12–2013 को हो गया, जिनके वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार श्रीमती जसवन्त कंवर एवं शक्तिसिंह है, जिन्हें राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरण की जानकारी नहीं थी। उनका कथन है कि राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरण की जानकारी हाल ही में अजमेर से अधिवक्ता का तारीख पेशी का पत्र प्राप्त होने पर हुई, जिस पर वारिसान की ओर से अजमेर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क किया और बताया कि अपीलार्थी भारतसिंह का स्वर्गवास हो गया है जिस पर वकील साहब ने कायम मुकाम की कार्यवाही करने की सलाह दी। तत्पश्चात् गावं जाकर मृत्यु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलडि/टी.ए./1150/2005/डुंगरपुर भारतसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रमाणपत्र व वारिसान के नाम पते लेकर अजमेर आने के उपरान्त कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उनका कथन है कि विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि पक्षकारों के हितों व अधिकारों की सुरक्षा हेतु कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब एवं उपशमन को न्यायहित में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अपास्त किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर मृतक अपीलार्थी भारतसिंह का नाम हटाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित विधिक वारिसान को अपीलार्थी के स्थान पर रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे। योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मृतक अपीलार्थी भारतसिंह की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–12–2004 के विरूद्ध वर्ष 2005 में अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील के विचारधीन रहते प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार एकमात्र अपीलार्थी भारतसिंह का देहान्त दिनांक 27–12–2013 को हो गया। किन्तु अधिवक्ता अपीलार्थी एवं उनके वारिसान की ओर से निर्धारित समयावधि में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना नहीं की गयी। उनका कथन है कि एकमात्र अपीलार्थी के देहान्त हो जाने के उपरान्त कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उनका कथन है कि एकमात्र अपीलार्थी का देहान्त हो जाने से मृतक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वतः ही उपशमन हो जाती है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को निरस्त किया जाकर अपील को अबेट घोषित कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलडि/टी.ए./1150/2005/डुंगरपुर भारतसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–12–2004 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील अपीलार्थी भारतसिंह की ओरसे प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील के विचाराधीन रहते दिनांक 27–12–2013 को एकमात्र अपीलार्थी भारतसिंह की मृत्यु प्रमाणपत्र अनुसार हो चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने एकमात्र मृतक अपीलार्थी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थनापत्र दिनांक 26–04–2017 को अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में पर्याप्त एव सद्भाविक कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल मात्र यह अंकित कर देने से कि अजमेर से वकील साहब का तारीख पेशी का पत्र प्राप्त होने पर लम्बित प्रकरण की जानकारी हुई, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में एकमात्र अपीलार्थी भारतसिंह का देहान्त वर्ष 2013 में होने एवं उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थनापत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण हस्तगत अपील स्वतः अबेट हो जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 26–04–2017 को निरस्त किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलडि/टी.ए./1150/2005/डुंगरपुर भारतसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर अपील उपशमित हो जाने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकल राम कसवां)** **सदस्य** **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	